

मोबाईल नंबर

Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

बनाम श्री मोहन

हरण सं. 2/14/2025

तारीख रजू 12.3.25

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|------------|---------------------------------|---------------------------------|

25

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण/ गैरसायलान को जयें रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 8.4.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़(अलवर)

8.4.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को नम्बर 2/14/25 के अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण/ गैरसायलान को जयें रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 1.5.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) तार 10

1.5.25

पत्रावली पेश। P.O. तार 10

अधिकारी

पत्रावली दिनांक 1.5.25 को पेश हो।

रीडर

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

शाकिर मोहम्मद बनाम जीत मोहम्मद

प्रकरण सं. 2/14/2025 तारीख रजू. 18.3.2025

उपस्थित
ने निक
गिल

| रीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|----------|---|--|
| | <p>पार्सी द्वारा अपने प्लॉट की साब कीई ऐसा रस्तावैली साब साब नीं किया है जिससे वास्तु आवासी आ. ख. म. 467 रकबा 1.0100 है फार् गाम भीमेश्वर चिडवई तस्लीम जीविन्दगढ को फेंक सम्पत्ति सिद्ध किया जा सके। साब ही पार्सी की स्वीप विधी (परमिल लॉ) दिन्ड अन्तराधिकार आधि 1956 डिख उकार से होगी बस सिद्ध करने में ही पार्सी। सम्पत्त किल रहा है। अतः पार्सी का पार्सीना प्लॉट खारिज किया जाना सामोचित प्रतीत होता है। अतः पार्सीना प्लॉट पार्सी/ सम्पत्त अन्तर्गत धारा 212 सम्पत्तान का स्वकारी आधिनिभम 1955 सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। निधि सुले न्यायालय में सुनाया गया प्लॉटली किसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, शाफिल उरखे सुल वाड रहे।</p> | <p>23.05.2025 उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) रज</p> |